

2024/47

राजस्थान सरकार
FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय तहसीलदार बालेसर, जिला-जोधपुर (ग्रामीण)

सरकार परिशी पटवारी बनाम रणाराम पुत्र सिमरधाराम
हल्का - विराई जाति- कुम्हार, सा. विराई

किस्म मुकदमा 91 नं. 10/24 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही में इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2024	<p>पटवारी हल्का <u>विराई</u> रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम <u>मोटलजी का बास</u> तहसील बालेसर के खसरा नं. <u>725/247</u> रकबा <u>0.06 है</u> किस्म मैस-मुमकिन-<u>वारानी</u>-प्रूमि पर <u>रणाराम</u> पुत्र <u>सिमरधाराम</u> जाति <u>कुम्हार</u> निवासी <u>विराई</u> तहसील बालेसर ने अनाधिकृत रूप से <u>0.06 है ताखंडी</u> कर अतिक्रमण किया है पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी हो कर पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>19.07.2024</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">20/9 तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर</p>	
19.07.2024	<p>पत्रावली पैडा हुई। अपाथी अधिवक्त उपस्थित वकालतनाम) पैडा कर, जवाब हेतु समय छाहा गया। वकालतनाम) शामिल पत्रावली किया जाकर आईन्दा जवाब हेतु दिनांक- <u>06.08.2024</u> को पैडा हो।</p> <p style="text-align: center;">20/9 तहसीलदार बालेसर जिला - जोधपुर</p>	<p style="text-align: right;">म.प. <u>रणाराम</u> <u>पटवारी</u></p>

06.08.2024 पत्रावली पेश हुई। अप्रवाली अधिवक्ता /-सापहत-में
अप्रवाली को उपस्थित होने हेतु अंतिम अवसर
दिया जाता है। पत्रावली दिनांक:- 14.08.2024 को वास्तु
अप्रवाली को उपस्थित होने हेतु पेश है।

206
तहसीलदार बालेंसर
जिला - जांघपुर

14.08.2024 पत्रावली पेश हुई। गैर सापहत उपस्थित गैर सापहत द्वारा
जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उनके स्वयं
के स्वयं से संख्या संख्या 725/247 से नारबकी आवि
हटाकर उक्त स्वयं को अतिप्रमाण मुक्त कर दिया है।
गैर सापहत द्वारा उक्त प्रकरण को छोड़ करने का
अनुशेष किया गया है। हमने पत्रावली का अपमोक्षण
किया हमने पत्रावली द्वारा वाप प्रस्त आरानी से गैर
सापहत द्वारा अतिप्रमाण को प्रकरण प्रस्त किया गया था।
गैर सापहत द्वारा स्वयं के स्वयं से अतिप्रमाण हटाने का
जवाब प्रस्त किया गया है। वाप प्रस्त आरानी अतिप्रमाण
मुक्त हो गई है। उक्त पत्रावली में कोई कापिवाही विचाराधीन
नहीं होने से गैर सापहत द्वारा प्रस्त प्रार्थना-पत्र किया
जाकर पत्रावली नगद से कम होकर वास्तु दफ्तार है।

206
तहसीलदार बालेंसर
जिला - जांघपुर